न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व वाद सं. : 44/2002
दायरा तिथि : 12.06.2002
निर्णय तिथि : 15.11.2016

प्रार्थीः–

1– राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीः–

1– स्व. वजा पुत्र हंसा जाति ढोली
के का.मु देवाराम, शंकरलाल,
लखमाराम ,निवासी बसंत
तह0 सुमेरपुर

2– स्व. हकमाराम पुत्र भगवान
जाति पुरोहित के वारिसान स्व.
जोगसिंह के का.मु पुत्र
जब्बरसिह, हरसन, पुत्री सुमित्रा,
स्व. पुखराज के का.मु. पुत्र
जोगसिंह , जयसिंह, रमेश सिंह
स्व. रावतसिंह के का.मु पुत्र
नारायणसिंह, पत्नि धापु,
पुत्री प्रियंका जाति पुरोहित
स्व. मूला पुत्र स्व. भगवान जाति
पुरोहित के का.मु. पुत्र रूपसिंह,
पुत्र स्व. गुलाबसिंह के का.मु
पत्नि सरिया देवी , पुत्र
सुरजसिंह, मंगलसिंह, रमेश,
पुत्री सुशीला, जाति पुरोहित
स्व. मेगा पुत्र स्व. भगवान जाति
पुरोहित के का.मु. पुत्री कन्या
केसा पुत्र स्व. भगवान जाति
पुरोहित के का.मु. पुत्र विजयसिंह
वरदा पुत्र स्व. भगवान जाति
पुरोहित के का.मु. पत्नि लछू
पुत्र स्व. मनरूप, जाति पुरोहित

3–स्व. भोपसिंह के पुत्र स्व.
भंवरसिंह की पत्नी गवरी ,
पुत्र मोहनसिंह, अशोकसिंह
मगनसिह, पुत्री सुमा, वर्षा, मदु,
ममता जातिगण पुरोहित
निवासीगण बसंत तह0 सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि :– 15-11.2016

(1) यह है कि प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी), बाली वर्तमान तहसील सुमेरपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगणों के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बसंत तहसील सुमेरपुर मे स्थित कृषि भूमि गत खसरा नं. (चकबंदी के बाद) 95,182,184,188,191 कुल रकबा 32.9 बीघा भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 01 वजा पुत्र हंसा जाति ढोली (अनु.जाति) का 1/3 हिस्सा हकूक खातेदारी का दर्ज रहा है। उक्त भूमि को चकबंदी के बाद रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 के नाम हस्तान्तरित कर दिया एवं अभिलेखों में बिना किसी आधार के अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति के सदस्यों के नाम खातेदारी में अंकन कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

लगातार पेज 02...

Scanned by CamScanner

उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) के प्रावधानों के विपरित होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि राज्य सरकार मे निहित काने एवं अप्रार्थीगणों को बेदखल किये जाने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई।

(2) यह है कि प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संस्थापित कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। वादग्रस्त भूमि पर वक्त जागीर समय ये अप्रार्थीगण काबिज होने से धारा 42 बी के प्रावधानों के विपरित प्रकरण नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

(3) यह है कथित मामले में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बाली मे राजस्व वाद सं. 279/1983 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर दिनांक 13.03.1995 को आदेश पारित किया तथा सरहद मौजा बसंत तह0 सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 95,182,184,188,181 व वर्तमान खसरा नं. 269 , 271 , 291, 292 व 298 कुल रकबा 5.10 हेक्टर भूमि मेसे 1/3 हिस्सा की भूमि को सिवाचक घोषित किया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (मुख्यालय) जोधपुर के अपील सं. 41/1997 बअनवान–विजयसिंह वगैरा बनामः राजस्थान सरकार व वजा पुत्र हंसा वगैरा में दिनांक 18.04.2000 को पत्रावली रिमाण्ड की जाकर पारित निर्णय में जारी दिशा–निर्देश अनुसार पत्रावली को पुनः सुनवाई में लिया जाकर प्रकरण में मृत पक्षकारान के वारिसान कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया। मृत पक्षकारान के का.मु. को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया प्रदान किया गया।

(4) यह है कि प्रकरण पुराना होने से एवं अनुसूचित जाति के सदस्यगण के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का शीध्र निस्तारण करने हेतु राजस्व लोक अदालत केम्प बसंत में दिनांक 13.06.2016 को रखा गया। राजस्व लोक अदालत केम्प बसंत में मृत पक्षकारान के का.मु. को बसंत केम्प में प्रकरण की सुनवाई किये जाने की सूचना दी गई। बावजूद सूचना , नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।

(5) यह है कि वादग्रस्त आराजी की वर्तमान रेकर्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट रेकर्ड पर ली गई। अप्रार्थीगण ने अपने तथ्यों की ताईद में किसी प्रकार का अभिलेखीय अथवा गवाह प्रस्तुत नही किया गया। विद्धवान वकील व अप्रार्थीगण एवं सरकारी पैरोकार को सुना गया। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.03.1995 की अनुपालना में वर्तमान जमाबंदी संवत 2064–2067 के अनुसार खाता सं. 56 के नये खसरा नं. 269 , 271 , 291, 292 व 298 कुल रकबा 5.10 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा राजकीय सिवायचक दर्ज है। जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी का 1/3 हिस्सा की खातेदारी पूर्व के राजस्व अभिलेखों मिसल बंदोबस्त 2010 से 2020 मे वजा पुत्र हंसा जाति ढोली की खातेदारी दर्ज थी जो खातेदार "ढोली" जाति का होने से राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जाति का सदस्य था। उक्त भूमि पर बिना किसी आधार के अप्रार्थीगण जो तमाम पुरोहित जाति यानि स्वर्ण जाति के सदस्य हैं के नाम पर रेकर्ड मे हस्तान्तरित हुई। पटवारी हल्का की मौका स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान रेकर्ड में अनुसूचित जाति का नाम नही होने एवं कब्जा भी मौके पर स्वर्ण जाति के सदस्यों का साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचनाओं के परिणाम स्वरूप यह वाद स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बंसत तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 269 , 271 , 291, 292 व 298 कुल रकबा 5.10 हेक्टर भूमि मेसे 1/3 हिस्सा की भूमि को राजस्व रेकर्ड मे सिवायचक यथावत रखा जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय एवं डिक्री की पालना में विधिवत् कार्यवाही सुनिश्चित कर उक्त अप्राथीगण खातेदारों को तत्काल बेदखल करके कब्जा राज्य सरकार के हित में लिया जावे । सालाना कृषि कार्य व्यवस्था व प्रयोजन हेतु नियमानुसार निलामी कार्यवाही आवश्यक रूप से करे तथा पालना से समय–2 पर इस न्यायालय को अवगत् कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2016 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)

Scanned by CamScanner